ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-6* Issue-3* April- 2021
Innovation The Research Concept

भारत में महिला कानूनी अधिकारों का विश्लेषणात्मक अध्ययन

Analytical Study of Women's Legal Rights in India

Paper Submission: 03/04/2021, Date of Acceptance: 19/04/2021, Date of Publication: 21/04/2021

मीनाक्षी माहेश्वरी
शोधार्थी,
समाज विज्ञान शोध केन्द्र,
भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्,
नई दिल्ली, भारत

सारांश

भारतीय समाज में स्त्रियों को अधिकार सपन्न एवं सशक्त करने का एक मात्र उपाय है कि महिलाओं को उनका हक दिया जाये और इनके पक्ष में कानून बनाए जाए। वर्तमान प्रस्थिति परिवर्तित हो रही है। समाज की सोच में सकारात्मक परिवर्तन आने लगा है और सरकार भी महिलाओं के पक्ष में अधिकार एवं कानून का निर्माण कर रही है कुछ पुराने कानूनों को भी संशोधित कर मजबूती प्रदान की जा रही है। महिलाओं को अपने अधिकार दिलाकर सम्मान के साथ जीने की आजादी होनी चाहिए।

In Indian society, the only way to empower women is to give their rights and laws should be made in their favor. The current situation is changing. The society's thinking is beginning to change positively and the government is also making rights and laws in favor of women, some old laws are also being amended and strengthened. Women should have the freedom to live with dignity by giving them their rights.

मुख्य शब्द : निशांत सिंह, महिला विधि, नई दिल्ली।
Nishant Singh, Women's Law, New Delhi.

प्रस्तावना

भारतीय संविधान के अन्तर्गत स्त्रियों को पुरूषों के समान अधिकार प्रदान किये गये हैं। मौलिक अधिकारों में स्त्री–पुरूष के लिये किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया हैं, किन्तु व्यावहारिक रूप से वह स्थिति नहीं है, जिसे सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार किया गया है और न ही नारी के प्रति बने परम्परावादी दृष्टिकोण से हम मुक्त पा सके हैं।

कोई भी देश, संस्कृति या सभ्यता हो, हर जगह महिलाओं के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है लेकिन अब स्थिति बदल रही है, नया सूरज उग रहा है, दुनिया भर की सरकारें और व्यवस्थाएँ अब महिलाओं को कुछ विशेष अधिकारों से सम्पन्न कर रही हैं और इसके लिए कानून बनाये जा रहे हैं, संविधान में संशोधन किये जा रहे हैं। महिलाओं के साथ हर स्तर पर होने वाला भेदभाव किसी से छिपा नहीं है जो अधिकारों की समानता के सिद्धान्त का खुला उल्लंघन है। यह मानवीय गरिमा के खिलाफ है और इससे देश के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व धार्मिक जीवन में स्त्रियों को पुरूषों के साथ समानता के आधार पर भागीदारी में बाधा आती है और समाज की समृद्धि जा सकती है। इसके अलावा उन्हें शिक्षा और आर्थिक अधिकारों से भी वंचित रखा गया फलस्वरूप वे दहेज, बाल–विवाह, अशिक्षा और भ्रूण हत्या का शिकार बन कर रह गयीं। इन कुप्रथाओं और अपराधों से महिलाओं को संरक्षण देने के लिए महिलाओं के हक में कुछ कानून बनाए गये हैं उनमें से महिला सम्पत्ति के अधिकारों को महिलाओं को प्रदान करके उनके अधिकारों की रक्षा करने का प्रयास किया है।

महिलाओं को सशक्त और अधिकार में संरक्षण का एक मात्र उपाय है कि महिलाओं को उनका हक दिया जाये और उनके पक्ष में कानून बनाए जाए। अब स्थिति बदल रही है, समाज की सोच में भी परिवर्तन आने लगा है और सरकारें भी महिलाओं के पक्ष में नये कानून बना रही है और कुछ पुराने कानूनों को भी संशोधित कर मजबूती प्रदान की जा रही है। महिलाओं को अपनी पैतृक सम्पत्ति में अधिकार दिलाकर सम्मान के साथ जीने की आजादी दी है।[1]

पश्चिमी देशों में महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक स्थिति चाहे जो हो लेकिन हमारे देश में तो आज भी महिलाओं के लिए राजनीतिक व सामाजिक आजादी का कोई अर्थ नहीं है।

ऐसा नहीं है कि हमारे देश में महिलाओं की स्थिति पहले से ही निकृष्ट रही हो। एक समय था कि जब भारत में महिलाओं को पुरूषों के समान ही अधिकार प्राप्त थे।

महिला संरक्षण के आधार पर संविधान में 'समानता' की बात कही गई है। संविधान में अनुच्छेद 15(4) में राज्य सरकारों को महिलाओं एवं बच्चों के लिए कानून बनाने हेतु अधिकृत किया है। भारत में कानून बनाने की क्रिया ही अव्यावहारिक है। कुछ व्यक्तियों ने कुछ सोच लिया और सोच पर अधिनियम पारित हो गया। वास्तव में शिक्षा के अभाव में महिलाएँ स्वयं पर हो रहे अत्याचारों के प्रकारो को आयाम नहीं दे पाती है। इसलिए उनके हित के लिए पारित अधिनियम अव्यावहारिक होते हैं। अधिनियम पारित करने के पूर्व उस पर सभी स्तर पर चर्चा होनी चाहिए व इसकी रिपोर्ट पर अधिनियम आधारित होना चाहिए। दहेज निषेध अधिनियम, 1966 में पारित हुआ व बीस वर्षो तक अव्यावहारिक रहा क्योंकि इसमें प्रक्रिया–जन्य अनेक त्रुटियाँ थी, अतः पुनः संशोधित अधिनियम, 1986 में आया और अब उसका पर्याप्त प्रसार हो रहा है। कानून को व्यावहारिक बनाने के लिए उसके अध्ययन की आवश्यकता होती है। महिला के हित के लिए अधिनियम पारित करने मात्र से अत्याचार बन्द नहीं हो जाते। उस पर प्रचार–प्रसार के साधनों में आज विज्ञापन की भरभार रहती है। धारा 125 भारतीय दंड संहिता में भरण–पोषण का प्रावधान किया गया है। 1973 से संशोधित दण्ड प्रक्रिया में प्रकरण बरसों से लटकते थे तो भरण–पोषण शब्द ही अर्थहीन हो जाता था अतः 1981[2] में उच्चतम न्यायालय के आदेश द्वारा अन्तरिम भरण–पोषण का प्रावधान आया। पुत्रियों को 1956, के हिन्दू विधि में सहदायिक अधिकार नहीं थे। 'इससे' पुत्रियों को मात्र उत्तराधिकार के ही अधिकारों पर ही सन्तोष करना पड़ता था। अर्थात् पुत्र को गर्भ के अन्दर से ही दादा के साथ सम्पत्ति में सहदायिक अधिकार था। अर्थात् वह पिता व दादा के साथ सम्पत्ति के समान भोग का अधिकारी होता था। पुत्री को पिता की मृत्यु के पश्चात् भाई के साथ उत्तराधिकार का भाग मिलता था, अर्थात् पुत्र को सहदायिक उत्तराधिकार दोनों अधिकार प्राप्त थे। जब कई समय तक पुत्रियाँ अपने अधिकारों से वंचित रहीं तो 2002 में 'हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम' संशोधन आया है जिसमें अविवाहित पुत्रियों को भाई के साथ सहदायिक अधिकारों का प्रावधान है। तात्पर्य है कि महिलाएँ परिवार और समाज द्वारा ही नहीं अपितु कानून के द्वारा भी उत्पीड़न सह रही है। न्यायिक प्रक्रिया के चक्रव्यूह में बरस लग जाते हैं–क्योंकि दूसरा पक्ष अधिकार देना नहीं चाहते अतः वह विलम्ब में सहारा लेता है। सम्पत्ति के विवाद में बरसों ही नहीं पीढ़ी दर पीढ़ी गुजर जाती है। इस का मूल कारण महिला उत्पीड़न का प्रभाव अधिक बढ गया है। भारतीय दण्ड संहिता में धारा 498 (क) के तहत् महिलाओं को दहेज के कारण प्रताड़ित करने पर दण्ड का प्रांवधान संशोधित किया गया। जिसके अनुसार 3 वर्ष तक के कारावास व जुर्माने का प्रावधान है और इसी आधार पर दण्ड प्रक्रिया संहिता में भी धारा 176 में दहेज प्रताड़ना के अपराधी की शिकायत प्राप्त होने के पश्चात् गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया गया।[3] महिलाओं से सम्बन्धित सभी कानून व अधिनियम बनाने के पीछे सरकार की भी यही मंशा रही होगी कि महिलाओं को शक्तिशाली बनाया जाए।

'मूल बनाम ओरेगन'[4] के एक मामले में अमेरिकी न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि – 'अस्तित्व के संघर्ष में स्त्रियों की शारीरिक बनावट तथा उनके स्त्रीजन्य कार्य उन्हें दुःखद स्थिति में कर देते है। अतः उनकी शारीरिक कुशलता का संरक्षण जनहित का उद्देश्य हो जाता है जिससे जाति, शक्ति और निपुणता को सुरक्षित रखा जा सके।'

यह कारण है कि महिलाओं के लिये कई विशेष विधियाँ बनाई गई है। संविधान के अनुच्छेद 42 में महिलाओं के लिये कई विशेष प्रसूति सहायक का उपबन्ध किया गया है। यह संविधान के अनुच्छेद 15 (1) का अतिक्रमण नहीं है। दत्रात्रेय बनाम स्टेट[5] के मामले में बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि राज्य केवल स्त्रियों के लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकता है तथा अन्य ऐसी संस्थाओं में उनके लिए स्थान भी आरक्षित कर सकता है।

युसुफ अब्दुल अजीज बनाम स्टेट ऑफ बम्बई[6] के मामले में भारती दण्ड संहिता, 1860 की धारा 497 को चुनौती दी गई थी। धारा 497 के अन्तर्गत जारता के लिए केवल, पुरूष ही दण्डित होता है, स्त्री नहीं। पटिश्नर द्वारा यह तर्क अभिव्यक्त किया गया है कि धारा 497 के उपबन्ध संविधान के अनुच्छेद 15 (1) का अतिक्रमण करते है। क्योंकि जारकर्म के लिए केवल पुरूष को ही दण्डित किया जाता है। स्त्री के रूप में भी दण्डित नहीं किया जा सकता है। उच्चतम न्यायलय ने इस तर्क को नकारते हुये कहा कि यह विभेद केवल लिंग के आधार पर ही नहीं अपितु स्त्री की विशेष स्थिति के कारण है।

टी सुधारक रेड्डी बनाम् स्टेट ऑफ आन्ध्र प्रदेश[7] के मामले में आन्ध्र प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1964 के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा किसी धर्म विशेष की दो महिलाओं के न्याय निर्देशन को उच्चतम न्यायलय द्वारा उचित ठहराया गया।

कुछ विनिर्णयों[8] में महिलाओं के लिये किये गये विशेष उपबन्धों को संवैधानिक माना गया है, जैसे :–

1. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 5 नियम 15 के अन्तर्गत सम्मन की तामील प्रतिवादि के नहीं मिलने पर उसके परिवार के किसी वयस्क पुरूष सदस्य पर की जा सकती है, स्त्रियों पर नहीं। स्त्रियों को तामील से मुक्त रखा गया है।
2. भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 354 के उपबन्ध विधिमान्य है, क्योंकि ये स्त्रियों के सतीत्व की रक्षा करते है।
3. दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत स्त्रियों का पुरूष से भरण–पोषण पाने का अधिकार विधि सम्मत है। इसी

प्रकार संविधान में बालकों के लिए कतिपय विशेष व्यवस्थायें की गई है।

4. संविधान के अनुच्छेद 45 के अन्तर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बालको के लिये निः शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबन्ध।

सितम्बर 1995 में चीन की राजधानी बीजिंग में एक अन्तर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें दुनिया भर से लगभग 30 हजार प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 10 दिनों के इस सम्मेलन में बहस का एक प्रमुख मुद्दा यह था कि विभिन्न देशों में धार्मिक कट्टरपंथियों की ओर से महिलाओं के स्तर में सुधार का सबसे प्रबल विरोध होता है। अफगानिस्तान की महिला प्रतिनिधियों ने बताया कि उन्होंने समाज में महिलाओं के विरूद्ध हो रहे भेदभाव को समाप्त करने के संघर्ष में काफी सफलता मिली थी, परन्तु कट्टर पंथियों के सत्ता में आ जाने से वे फिर काफी पिछड़ गयी।[9]

भारत की ओर से बोलते हुये पूर्व सांसद श्रीमती सुभासिनी अली ने कहा कि "आर्थिक नीतियाँ पूँजीवाद की ओर बढ़ रही है, धार्मिक कट्टरपंथ अपने पंख ऐसे धर्मो में भी जैसे हिन्दू धर्म, जो कि हमेशा से उदार माने जाते रहे, फैला रहा है। उत्तर प्रदेश में कुछ कक्षाओं की पाठ्य पुस्तकों में यह विचार लिखे गये हैं कि जब से महिलाओं को कानूनी अधिकार प्रदान किये गये हैं तब से विभिन्न परिवारों में तनाव बढ़ा है।[10]

भारतीय सरकार में मानव संसाधन मंत्री डॉ. मुरली मनोहर जोशी ने बीजिंग सम्मेलन में विचार विमर्श पर अपना मत अभिव्यक्त करते हुये कहा कि इस सम्मेलन में जिन विषयों पर बल दिया गया, वह पश्चिमी संस्कृति से उत्पन्न प्रश्न हैं। पश्चिम भोगवाद को नई नैतिकता या नारी के सार्वभौमिक मानवाधिकारों के रूप में प्रतिस्थापित करने की इस सम्मेलन में चेष्टा की गई। इस देश में इतिहास के शैशव से ही सामाजिक सम्बन्धों और व्यवस्थाओं को इस प्रकार निरूपित करने का प्रयास किया गया है जिससे एक समरसता पूर्ण समाज का निर्माण किया जा सके। यदि समाज में समन्वय रखना है तो सम्बन्ध आत्मिक और भावनात्मक होने चाहिए इसलिए परिवार संस्था का महत्व है। लेकिन पश्चिम में यह संस्था टूट गई है, परिणाम एक विभक्त व्यक्तित्व वाला समाज जहाँ समाज सम्बन्ध भावनात्मक न होकर स्वार्थपरक हो गये। पश्चिम में तो एकल अभिभावक परिवारों की संख्या बढ़ रही है। अतः अगली पीढ़ी में सामाजिकता का विकास अवरूद्ध होता जा रहा है।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

1. महिलाओं को कानूनी अधिकारों की जानकारी से परिचित करवाना है।
2. महिलाओं को शिक्षित, सशक्त एवं सुदृढ़ बनाया जाना।
3. महिलाओं से सम्बन्धित कानून का निर्माण उनके हित में बनाया जाये।
4. कानूनी भाषा को सरल एवं सहज बनाया जाये।

निष्कर्ष

स्पष्टतः जिन देशों में स्त्री–पुरूष की एक पंसली से निर्मित होने की मान्यता हो, उनमें और अर्द्धनारीश्वर की कल्पना वाले भारत में नारी मुक्ति की संस्थाएँ एक जैसे नहीं हो सकती। यह भारत ही है, जहाँ दुर्गा द्वारा यह कहा जा सका–

यो माँ जयति संग्रामें यो माँ दर्प व्योपहित।
यो में प्रतिबलों लोकेस में भर्ता भविष्यति।

उल्लेखनीय है कि माँ दुर्गा को छोड़कर किसी देवता का वाहन सिंह नहीं है। यह नारी ही है जो पाश्विकता पर नियन्त्रण रख सकती है क्या भारतीय महिला आन्दोलन की नेताओं को अपनी इस शक्ति का अहसास है, अच्छा हो कि आधुनिक भारतीय महिलाएँ इतिहास की परम्परा को भलीभाँति समझ लें और पश्चिम की अनुकृति बनने के स्थान पर अपनी स्वतंत्र पहचान बनायें।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *सिंह निशांत, "महिला विधि", राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2008, पृष्ट–2*
2. *भारत के राजपत्र (असाधारण) धारा–2, खण्ड–3, पृष्ठ– 1006, 1जुलाई 1981*
3. *ए. आई. आर. 1998 सु. को. 9881*
4. *12 एल.ए., 551*
5. *ए. आई. आर., 1953, बम्बई 311*
6. *ए. आई. आर. 1954, एस. सी. 321*
7. *ए. आई. आर. 1994, एस. सी. 544*
8. *शाहदाद बनाम मोहम्मद अब्दुला, (ए.आई.आर 1967 जम्मू एण्ड कश्मीर 120) गिरधर गोपाल बनाम स्टेट, (ए. आई. आर. 1963 मध्य भारत 147) थामसी।*
9. *फातिमा करा दजा, हिन्दुस्तान टाइम्स, 10.09.1995, पृष्ठ–7, कालम–1*
10. *वहीं–कालम–2*